इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 734

29 नवम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

इस्पात का उपयोग/उत्पादन

734. श्री बसावाराज पाटिल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात के उपयोग संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात के उत्पादन संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हमने कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया है;

(घ) सरकार द्वारा लौह अयस्क के अपने ही देश में प्रसंस्करण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ड.) देश से लौह अयस्क के निर्यात का क्या प्रभाव पड़ता है; और

(च) लोहे के निर्यात को प्रतिबंधित न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क): अपेक्षित सूचना निम्नवत है:

अवधि	फिनिश्ड स्टील की खपत (मिलियन टन)
2009-10	59.34
2010-11	66.42
2011-12*	70.92

स्रोत: जेपीसी;* अनंतिम

(ख): अपेक्षित सूचना निम्नवत है:

अवधि	क्रूड स्टील का उत्पादन(एमटी)
2009-10	65.84
2010-11	70.67
2011-12*	73.79

स्रोत: जेपीसी;* अनंतिम

(ग): गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क की निर्यात की गई मात्रा निम्नवत है:

वर्ष	निर्यात (मिलियन टन)
2009-10	117.37
2010-11	97.66
2011-12*	61.80

स्रोत: एमएमटीसी, वाणिज्य विभाग;* अनंतिम

जारी/-

(घ): लोहा और इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा लौह अयस्क प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के संबंध में निर्णय व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा लिया जाता है और सरकार की इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। तथापि, सरकार लौह अयस्क के बैनीफिशिएशन और पैलेटाइजेशन के जरिए लौह अयस्क फाईंस के घरेलू उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। देश में लौह अयस्क के बैनीफिशिएशन और पैलेटाइजेशन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित वित्तीय उपाय किए गए हैं:

i. लौह अयस्क पैलेट संयंत्रों और लौह अयस्क बैनीफिशिएशन संयंत्रों की आरंभिक स्थापना और विस्तार में प्रयुक्त होने वाले संयंत्रों/उपस्करों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

ii. लौह अयस्क पैलेटों पर निर्यात शुल्क हटा दिया गया है।

(ड.) वर्ष 2011-12 के दौरान घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग में लौह अयस्क की लगभग 116.3 मिलियन टन की कुल अनुमानित खपत की तुलना में इसका उत्पादन 169.66 मिलियन टन (अनंतिम) था। इसलिए, यद्यपि भारत में लौह अयस्क का वर्तमान उत्पादन लोहा और इस्पात उद्योग में इसकी कुल अनुमानित घरेलू खपत से अधिक है, फिर भी इस्पात मंत्रालय का मत है कि घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग की दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए लौह अयस्क के निर्यात को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

(च): सरकार ने निर्णय लिया है कि यद्यपि देश के लौह अयस्क संसाधनों के संरक्षण का अत्यधिक महत्व है, फिर भी लौह अयस्क का संरक्षण इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अथवा सीमित करके न किया जाए बल्कि उपयुक्त वित्तीय उपायों का सहारा लिया जाए। इस्पात मंत्रालय लौह अयस्क के निर्यात को हतोत्साहित करने हेतु इस पर उपयुक्त निर्यात कर वसूलने के लिए राजस्व विभाग के साथ मामले पर नियमित कार्रवाई कर रहा है। घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग के लिए सस्ती कीमत पर लौह अयस्क की उपलब्धता सुधारने के लिए सरकार ने 30.12.2011 से लौह अयस्क के सभी ग्रेडों (पैलेट को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क यथामूल्य 20 प्रतिशत से बढ़ाकर यथामूल्य 30 प्रतिशत कर दिया है।

****